खण्ड-324, अंक-2
शनिवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1899
(26 मार्च, 1977 ई0)

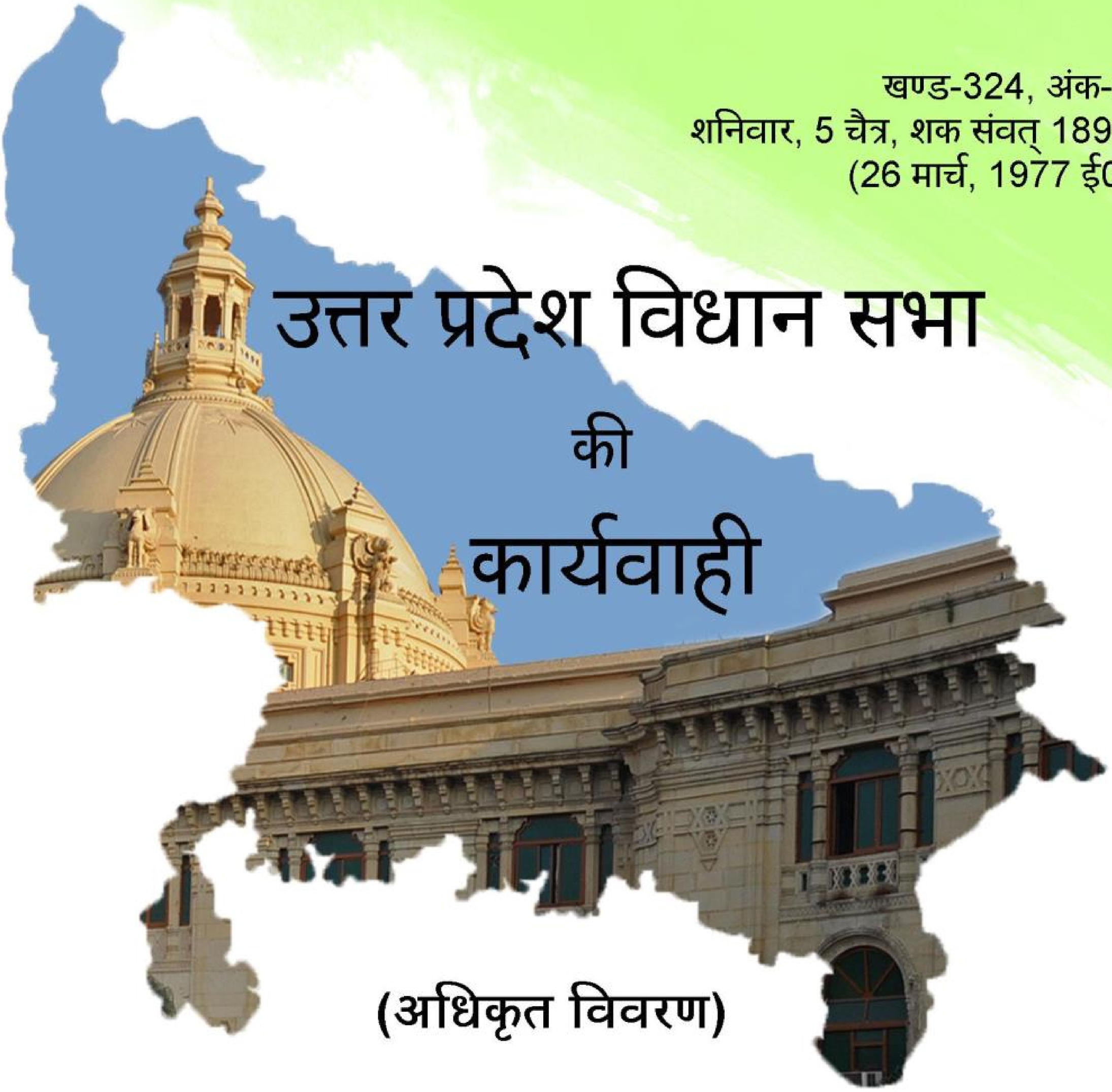

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 324 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	21–25
भूतपूर्व सदस्य श्री राम लाल माई के निधन पर शोकोद्गार ..	25–26
उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	26
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	26–27
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
काजी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	27
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	28
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वादश) आदेश, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	28
उत्तर प्रदेश ब्वायलर अटेन्डेन्ट्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	28
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) नियमावली, 1972 (सदन के पटल पर रखी गयी)	28
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1976 तथा उसमें जारी किये गये शुद्धि पत्र (सदन के पटल पर रखे गये) ..	28
संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 (सदन के पटल पर रखे गये)	29
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	29
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 में किये गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	29
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	29
उत्तर प्रदेश विधि(बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	29
प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुन: अधिनियमन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	30
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	31
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना ..	31–32
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चुनावों से संबंधित राजस्व मंत्री के तथाकथित पत्र एवं श्री तीरथ राम कोहली के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना	32
श्री मोहम्मद रफी खां द्वारा ग्राम्य विकास मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचनायें	33
विधान सभा की कार्यवाहियों की मुद्रण स्थिति के सम्बन्ध में सूचना ..	34
मंत्रि परिषद् के विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (वापस माना गया)	34–35
समाचार पत्रों द्वारा सदस्यों के दल परिवर्तन की गलत सूचना छापे जाने के संबंध में श्री शिव कुमार पाण्डेय द्वारा शिकायत	35–36
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	36
1976–77 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान	
अनुदान संख्या—1 राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत)	36–37
अनुदान संख्या 3—मंत्रिपरिषद् (स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व (स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण (स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर (स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर (स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	38–39
अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति (स्वीकृत)	39
अनुदान संख्या 18—सचिवालय (स्वीकृत)	39
अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन (स्वीकृत)	39
अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) ..	39
अनुदान संख्या 21—पुलिस (स्वीकृत)	40

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 22—कारागार (स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या 23—लेखन-सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत)	40
अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें (स्वीकृत)	40–41
अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन (स्वीकृत)	41
अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं (स्वीकृत)	41
अनुदान संख्या 28—शिक्षा (स्वीकृत)	41
अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति (स्वीकृत)	41
अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध (स्वीकृत)	42
अनुदान संख्या 31—चिकित्सा (स्वीकृत)	42
अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन (स्वीकृत)	42
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	43
अनुदान संख्या 35—नगर विकास (स्वीकृत)	43
अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार (स्वीकृत)	43
अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (स्वीकृत) ..	43
अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं (स्वीकृत) ..	43–44
अनुदान संख्या 41—सहकारिता (स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या 43—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (स्वीकृत) ..	44
अनुदान संख्या 44—कृषि (स्वीकृत)	44
अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या 49—पशुपालन (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला विकास (स्वीकृत)	45–46
अनुदान संख्या 52—वन (स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या 53—उद्योग (स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या 57—राजस्व (स्वीकृत)	46
अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन (स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या 60—संचार साधन (स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन (स्वीकृत)	47
अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	47–48

विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्वीकृत)	48
अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन (स्वीकृत)	48
अनुदान संख्या 65—पर्यटन (स्वीकृत)	48
अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	48
अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	49
अनुदान संख्या 70— आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	49
अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	49
अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	49
अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	50
अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	50
अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	50
अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	50
अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	51
अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	51
अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	51
अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	51
अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	52
अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	52
अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा (स्वीकृत)	52
अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन (स्वीकृत) ..	52
अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम उद्योग (स्वीकृत)	53
अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता (स्वीकृत) ..	53
उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 (पारित)	53–58
1977–78 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	58
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 (पारित) ..	58–67
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	67
नत्थियां	68–70

अवर सचिव विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 26 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--384

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरूद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट)
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा,श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह,, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चरन दास सेठ, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ सिंह पैरमार, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
ज्ञान लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी

पुरुषोत्तम लाल बजवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांकेलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगौती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह कैन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनी राम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफी रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री

रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम बचन, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री
(उप नाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री

शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

भूतपूर्व सदस्य श्री राम लाल भाई के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे अत्यन्त खेद के साथ यह सूचना देनी पड़ रही है कि इस सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य, श्री रामलाल भाई का निधन 23 मार्च, 1977 को जिला अस्पताल, गोरखपुर में हो गया। रामलाल भाई हमारे प्रदेश के एक रचनात्मक विचारधारा के कर्मठ कार्यकर्ता थे। खादी ग्रामोद्योग के लिए तथा पूर्वांचल के लिए जो उनकी सेवाएं रही हैं उन सब से हम सभी अवगत हैं। उनकी उम्र केवल 41 वर्ष की ही थी। इतनी कम उम्र में उनका चला जाना और भी खटकता है। सन् 1969 में कांग्रेस टिकट पर विजयी होकर वे यहां इस सदन में आए थे और इस सदन की सेवा के अतिरिक्त इस सदन की लोक लेखा समिति के भी वे काफी समय तक सदस्य रहे और उनकी सेवाएं अत्यन्त ही सराहनीय रही हैं। गांधी आश्रम की सेवा भी उन्होंने काफी समय तक की है और गोरखपुर की इसकी शाखा के वे एक सफल व्यवस्थापक भी रहे हैं। उनकी सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। मेरा निवेदन है कि आप हम सब लोगों की और इस सदन की श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य, रामलाल भाई की मृत्यु 41 वर्ष की अल्पायु में ही हो गयी। इतनी अल्पायु में मृत्यु हो जाना निश्चय ही अत्यन्त हृदय-विदारक है। वे इस सदन के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं और उनका बहुत ही सक्रिय योग-दान रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी उनका सम्बन्ध रहा है। उनके लिए माननीय नेता सदन ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि हम लोगों की समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, अभी-अभी यहां सदन में श्री रामलाल भाई के बारे में जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा माननीय मालवीय जी ने व्यक्त किए हैं मैं उनके साथ अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। रामलाल भाई एक कर्मठ एवं सक्रिय कार्यकर्ता थे। गांधी आश्रम में रहकर जो उनकी सेवाएं रही हैं तथा इस सदन में जो उनकी सेवाएं रहीं वह सदा याद रहेंगी। मेरा निवेदन है कि हमारी तरफ से तथा हमारे दल की तरफ से हमारी समवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता, जनता पार्टी तथा माननीय नेता कम्युनिस्ट दल ने स्वर्गीय श्री रामलाल भाई के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार व्यक्त किए, उनसे मैं अपने को और इस सदन को सम्बद्ध करता हूं। श्री रामलाल भाई की प्रदेश के रचनात्मक कार्यों में तथा इस सदन के कार्यों में जो रुचि रही है, वह सराहनीय है। उनकी सेवाएं ऐसी रही हैं जिनके कारण सार्वजनिक जीवन में उन्होंने काफी ख्याति पाई थी। मैं इस सदन की समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976†

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1976 †

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मेरी एक आपत्ति है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

औपचारिक कार्य होने दीजिए।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, जो अध्यादेश रखे जा रहे हैं, इन अध्यादेशों के बारे में मुझे यह कहना है ...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—

यह जो रखा जा रहा है, इस पर अभी चर्चा नहीं होगी। जब इस पर विचार किया जायगा तब आपको निश्चय यह सब कहने का मौका देंगे। अभी तो रख रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, सवाल ऐसा है कि तीन साल से लगातार आर्डिनेंस आते रहे हैं। यह आर्डिनेंस जो चुनाव से पहले निकल गए हैं .....

(व्यवधान—हंसी)

अब नई सरकार बनने जा रही है श्रीमन। मेरा आप से अनुरोध है, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। आज कल बहुत से लोग चले ही जा रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि यह पटल पर रखा न जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह संवैधानिक प्राविधान है, माननीय त्रिवेणी सहाय जी को मालूम होना चाहिए। अगर आज जो दिल्ली में परिवर्तित सरकार है, वह सरकार संविधान से इस प्राविधान को निकाल दे तब मैं हरगिज किसी को रखने की इजाजत नहीं दूंगा। आप भी अध्यादेश निकालेंगे, जो नई सरकार है, उसे भी अध्यादेश निकालने की आवश्यकता पड़ेगी और निश्चय ही निकालेगी।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, 1976 †

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

काजी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 †

न्याय मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से काजी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1977 †

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 †

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 †

विद्युत् मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखती हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1977†

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वादश) आदेश, 1976†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा (10) की अनुभाग की सूचना संख्या 7092/15-10-76-60 (61)-73, दिनांक 20 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वा श) आदेश, 1976 को, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन), अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ब्वायलर अटेंडेंट्स (प्रथम संशोधन) नियमावली 1976††

विद्युत् मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग-अनुभाग-3 की अधिसूचना सं0 1342(वि0)/36-3-1100 (बी)-74, दिनांक 16 नवम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ब्वायलर अटेंडेंट्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) नियमावली, 1972††

आवास मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवास अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 1404/37-2-28 (एच0वी0)-65, दिनांक 11 मार्च, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 94 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1976 तथा उसमें जारी किये गये शुद्धि पत्र†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग अनुभाग-8 की अधिसूचना सं0 55/35/73/राजस्व-8, दिनांक 8 जून, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 1976 को उसमें जारी किए गए शुद्धि-पत्र सं0 55/35/73/रा-8, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 सहित उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 को परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन†

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषगिक संशोधनों के विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 68 पर)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 में किये गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों के विवरण को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 69 पर)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किये गये शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 में किए गए शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 70 पर)

उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 52वां अधिनियम बन गया।

---

††छापा नहीं गया।
†छापा नहीं गया।

प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 53वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 2 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 54वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक सस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 55वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 7 दिसम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 56वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और सशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1976 का उत्तर प्रदेश का 57वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 नवम्बर, 1976 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 जनवरी, 1977 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको सूचना देता हूं कि विधान सभा के विगत सत्र के पश्चात् निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई इत्यादि की सूचनायें संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हुई हैं, जिससे माननीय सदस्यों को बुलेटिन संख्या 37 से 41 द्वारा अवगत कराया जा चुका है :—

1—श्री काली चरण यादव (गाजीपुर)
2—श्री शिव प्रसाद (आजमगढ़)
3—श्री राम अधार राय (आजमगढ़)
4—श्री नन्हें लाल कुरील (बाराबंकी)
5—श्री सत्य प्रकाश (बरेली)
6—श्री राममूर्ति (बरेली)
7—श्री श्याम बिहारी सिंह (बरेली)
8—श्री हरीश कुमार गंगवार (बरेली)
9—श्री मोती लाल देहलवी (कानपुर)
10—श्री चन्द्रपाल सिंह (मुरादाबाद)
11—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (बांदा)
12—श्री एदल सिंह (बुलन्दशहर)
13—श्री हरिकेवल प्रसाद (देवरिया)
14—श्री जमुना प्रसाद बोस (बांदा)
15—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (फैजाबाद)
16—श्री कृष्ण राय (देवरिया)
17—श्री भारत सिंह चौहान (इटावा)
18—श्री फजलुर्रहमान अंसारी (बहराइच)
19—बाबा रामनाथ (मैनपुरी)
20—श्री बाबूसिंह (अलीगढ़)
21—श्री राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)
22—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (बस्ती)
23—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (गोरखपुर)
24—श्री शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद)
25—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (बहराइच)
26—श्री मुलायम सिंह यादव (इटावा)
27—श्री सूबेदार प्रसाद (मिर्जापुर)
28—श्री बाबूलाल वर्मा (बहराइच)
29—श्री शतरुद्ध प्रकाश (वाराणसी)
30—श्री मोहन लाल कपूर (मेरठ)

[श्री अध्यक्ष--]

31—श्री ओम प्रकाश सिंह (मिर्जापुर)
32—डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (सुल्तानपुर)
33—श्री तेज सिंह (बुलन्दशहर)
34—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (गोंडा)
35—श्री धीरेन्द्र सहाय (पीलीभीत)
36—श्री मुहम्मद मसूद खां (आजमगढ़)
37—श्री कल्याण सिंह (अलीगढ़) ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चुनावों से संबन्धित राजस्व मंत्री के तथाकथित पत्र एवं श्री तीरथ राम कोहली के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको एक और सूचना देता हूं कि 21 अप्रैल, 1975 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने वाले चुनाव में हस्तक्षेप के संबंध में श्री तीरथ राम कोहली तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने राजस्व मंत्री के एक पत्र को पढ़ते हुये जांच की मांग की थी। माननीय मुख्य मंत्री ने मामले में जांच का आश्वासन देते हुये कहा कि कथित पत्र माननीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा कर उन्हें दे दिया जाये। उक्त पत्र मैंने हस्ताक्षर करके माननीय मुख्य मंत्री के पास जांच के लिये भेज दिया था ।

29 अप्रैल, 1976 को श्री काशीनाथ मिश्र ने श्री तीरथ राम कोहली के विरुद्ध इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की सूचना दी थी कि उन्होंने जान-बूझकर राजस्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह के फर्जी पैड पर फर्जी दस्तखत और मोहर वाले पत्र को सदन में प्रस्तुत किया था। मैंने इस सूचना को अग्राह्य करते हुये यह कहा था कि श्री तीरथ राम कोहली ने जो पत्र मुझे दिया था उसे मैंने मुख्य मंत्री के पास जांच के लिये भेज दिया है और इस सूचना को भी मैं माननीय मुख्य मंत्री के पास जांच के लिये भेज रहा हूं। यदि जांच से कोई बात साबित हो तो माननीय सदस्य उस समय प्रश्न उठा सकते हैं।

इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने के पश्चात् शासन के दिनांक 26-2-77 के पत्र द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जांच के फलस्वरूप यह तथ्य प्रकाश म आया कि संबंधित पत्र पर किये गये हस्ताक्षर श्री स्वामी प्रसाद सिंह के नहीं हैं बल्कि फर्जी हैं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतीत होते हैं। परन्तु अपराध अनुसंधान विभाग को श्री स्वामी प्रसाद सिंह के उक्त जाली हस्ताक्षर को बनाने वाले व्यक्ति का पता अथक परिश्रम के बावजूद भी नहीं चल सका। अतः अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच समाप्त कर दी गयी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, कोहली साहब पर दूसरी बात रह गयी है..... । (एक साथ कई आवाज)

श्री अध्यक्ष—

आप उसको लिखकर दे दें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जांच आ जाय कि श्री स्वामी प्रसाद सिंह के हस्ताक्षर फर्जी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर से देंगे। आपकी जो पहले की सूचना थी उसको मैंने अग्राह्य करते हुये कारण बताया था कि जांच के लिये भेज रहे हैं। जांच की जो रिपोर्ट आयी है, उसको अभी मैंने सदन में रख दिया। जो आपको कार्यवाही अपेक्षित है, वह कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं ।

R.A. 8050

श्री मोहम्मद रफी खां द्वारा ग्राम्य विकास मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय सदस्य श्री मोहम्मद रफी खां ने डा0 रामजी लाल सहायक, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री के विरुद्ध, दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 को इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी कि दिनांक 2 नवम्बर, 1976 को उनके तारांकित प्रश्न सं0 58 का जो उत्तर दिया गया, उससे सदन को जानबूझ कर गुमराह किया गया तथा वह उत्तर गलत एवं भ्रामक था। मैंने दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 को सदन म इस पर निर्णय लेने से पूर्व माननीय मंत्री से स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का निदेश दिया था।

माननीय सदस्य ने उक्त प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो आपत्तियां की हैं। प्रथम आपत्ति यह है कि जो कूप 19 अक्तूबर, 1976 को हस्तान्तरित किया गया था, उसकी सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह को 3 महीने पेशगी, 31 जुलाई, 1976 को कैसे दे दी गयी ? दूसरी आपत्ति यह थी कि ग्राम खेड़ारठ में एक नहीं, वरन् दो कूपों का निर्माण हुआ। ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रथम आपत्ति के संबंध म यह कहा है कि कूप वास्तव में 19 अक्तूबर, 1975 को हस्तान्तरित किया गया था, उत्तर में 1976 टंकण की अशुद्धि थी। उन्होंने इस अशुद्धि के लिये खेद प्रकट किया है। दूसरी आपत्ति के संबंध में शासन ने जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से पुनः जांच करायी। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने पुनः जांच के बाद भी यह पाया कि ग्राम खेड़ारठ में एक ही कुएं का निर्माण कराया गया था, जो वहां की ग्राम सभा को उसी तिथि को हस्तान्तरित कर दिया गया, जो उक्त प्रश्न के उत्तर में वर्णित थी।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री द्वारा सदन को जानबूझकर गुमराह करना या गलत उत्तर देना अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता। प्राग्दर्शन में इससे कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता। अतएव, मैं इसे सदन में उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

10 दिसम्बर, 1976 को श्री मोहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा डा0 रामजीलाल सहायक, ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक और सूचना दी गयी थी।

श्री मोहम्मद रफी खां, सदस्य, विधान सभा ने डा0 रामजीलाल सहायक, ग्राम्य विकास मंत्री के विरुद्ध दिनांक 10–12–76 को इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी कि उन्होंने विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1976 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर गलत दिया था माननीय मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि इस कालेज के फार्म में दो बोरिंग और इंजिन पहले से उपलब्ध थे। माननीय सदस्य का कहना है कि श्री रघुनाथ सिंह इन्टर कालेज, खेरा बझेड़ा में केवल एक बोरिंग है दूसरा बहुत दिनों से खराब है और कोई पम्पिंग सेट उपलब्ध नहीं है। मैंने 11 दिसम्बर, 1976 को इस सूचना के संबंध में कोई निर्णय देने के पूर्व माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री जी से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी थी।

माननीय मंत्री जी ने अपने 12 जनवरी, 1977 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि प्रश्न का उत्तर देते समय किसी तथ्य को नहीं छिपाया गया है। प्रश्नोत्तर में बोरिंग एवं इंजिन पहले से उपलब्ध होने की सूचना दी गयी थी। इसमें न तो कोई गलत बयानी की गयी और न ही जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने कोई गलत रिपोर्ट दी। इंजिन पहले था, अब नहीं है। उक्त तथ्यों को देखते हुए इसमें कोई विशेषाधिकार भंग का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता। अतः इसे उठाने की अनुमति मैं नहीं देता हूं।

विधान सभा की कार्यवाहियों की मुद्रण स्थिति के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियमानुसार विधान सभा की कार्यवाहियां 6 सप्ताह के भीतर छप कर माननीय सदस्यों को प्राप्त हो जानी चाहिये किन्तु प्रारम्भ से ही कार्यवाहियों के मुद्रण में अधिक समय लगने के कारण इसका पालन नहीं हो पा रहा था। समय-समय पर मा0 सदस्यों ने इस संबंध मे शिकायत भी की तथा मा0 मंत्रियों एवं मुख्य मंत्रियों द्वारा उनके समय से छपने के प्रबन्ध हेतु आश्वासन भी दिये जाते रहे। इसके बावजूद भी इस संबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई थी। कई वर्ष पूर्व ऐशबाग प्रेस, लखनऊ इस कठिनाई को दूर करने के लिये खोला गया, परन्तु उससे भी इसका निराकरण न हो सका। मैं इस बात को काफी समय से अनुभव कर रहा था और मेरे सचिवालय द्वारा इस बात का विशेष प्रयास किया गया कि सदन की कार्यवाहियों का मुद्रण समय से कराया जा सके। फलस्वरूप 31 जुलाई, 1975 को उद्योग विभाग द्वारा राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ केवल विधान मंडल के कार्यों के लिये आवन्टित कर दिया गया। उसके बाद मेरे सचिवालय तथा प्रेस के कर्मचारियों के सतत् प्रयास से गत सत्र के अधिवेशन तक की कार्यवाहियां मुद्रित हो कर वितरित की जा चुकी हैं। यह पहला अवसर है जब एक सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व उसके पिछले सत्र के अधिवेशनों की कार्यवाहियां छप कर वितरित हो गई हों। यद्यपि अभी इन कार्यवाहियों के छपने मे दो-तीन माह का समय लगा है, फिर भी यह संतोष का विषय है। इसके लिये विधान सभा सचिवालय तथा प्रेस के संबंधित सहायक एवं अधिकारी हमारे बधाई के पात्र हैं।

राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज की क्षमता अभी उतनी नहीं है जितनी विधान मंडल के कार्य के लिये अपेक्षित है। अतएव यह प्रयास किया गया है कि उक्त मुद्रणालय के पुनर्निर्माण और विस्तार हेतु कार्यवाही की जाय, जो आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित हो। मुझे इस बात की खुशी है कि शासन द्वारा केवल विधान मंडल के कार्य हेतु उक्त प्रेस के पुनर्निर्माण और विस्तार हेतु कार्यवाही की जा रही है।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज मुझे वर्तमान मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव मिला है। जैसा कि नियम है अविश्वास के प्रस्ताव को अविलम्ब लेने की अवश्यकता पड़ती है, तो माननीय नेता सदन और माननीय नेता, प्रतिपक्ष की क्या राय है कि इसे कब लिया जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसको पढ़ने की मैं अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या नेता, विरोधी दल ऐसी हालत में अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, जबकि इस सदन के अन्दर लेखा अनुदान ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से पेश है ?

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था है कि अविश्वास का प्रस्ताव किसी समय कभी भी आ सकता है और अविश्वास के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। लोकतांत्रिक प्रणाली में एक क्षण के लिये भी यदि सरकार अल्पमत में हो तो उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव दे दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

एक बात यह है । कोई सूचना आपकी हमको मिली और उस सूचना से सदन को अवगत कराया जाना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है । अब आप और नेता, सदन जब कहें इसके लिये समय रखा जाय ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, जैसा आपने कृपा कर अपने चैम्बर में हमें आमंत्रित किया था और वहां नेता, विरोधी दल तथा अन्य नेता कृपा कर उपस्थित थे, तो वहां पर जब इसकी चर्चा हुई तो नेता, विरोधी दल ने तो नहीं लेकिन कहीं एक आध स्वर आया कि शंका हो सकती है कि राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर कोई संशोधन स्वीकार होता है तो हो सकता है कि यह सरकार उसको अपने ऊपर अविश्वास न माने । श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमें इस सदन में स्वतंत्र और स्वच्छ परम्परायें स्थापित करनी चाहिये । श्रीमन्, मुझे याद है कि सन् 1967 में जब राज्यपाल का अभिभाषण यहां हुआ था और उस पर चर्चा हुई थी तो तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री चन्द्र भानु गुप्ता जी ने जब राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन स्वीकृत हुआ तो उसको उन्होंने सरकार पर यह समझा कि सदन का विश्वास नहीं है । मैं समझता हूं कि यह मर्यादाएं रहनी चाहिये परिपाटियां रहनी चाहिये तो जो अभिभाषण में चर्चायें निश्चित हैं उसके लिये तिथियां भी निश्चित हैं, समय भी निश्चित है, तो मैं नहीं समझता कि हम लोगों को कोई दूसरी भिन्न परिपाटी चलानी चाहिये । बहुत अच्छी परिपाटी है और मुझे पूरा विश्वास है कि 31 तारीख को गवर्नर के अभिभाषण पर वोटिंग के समय हमें इस बात का पूरा अवसर प्राप्त होगा इस सदन में सिद्ध करने का कि हम इस सदन में बहुमत रखते हैं और अगर नहीं रखते हैं तो वह भी स्पष्ट हो जायगा । वैसे नेता, विरोधी दल को हक है अविश्वास प्रस्ताव रखने का लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण में जो संशोधन हैं उसी पर निर्णय इस बात का हो जायगा ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

जो कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है उस पर विपक्ष को पूरा विश्वास है और इसलिये इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि अविश्वास के प्रस्ताव को इस वक्त रखा जाय और राज्यपाल के अभिभाषण पर जब मत होगा तो उस वक्त जैसा भी होगा स्पष्ट हो जायगा जैसा कि इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

अविश्वास के प्रस्ताव की जो सूचना मुझे दी गयी है, मैं समझता हूं कि यह वापस हुई ।

समाचार पत्रों द्वारा सदस्यों के दल परिवर्तन की गलत सूचना छापे जाने के संबंध में श्री शिव कुमार पांडेय द्वारा शिकायत

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अखबार वाले जो हैं वह बिना आपसे या हमसे पूछे नाम निकाल देते हैं कि मैं वहां गया या वहां गया तो इससे जनता में हमारी इमेज थोड़ी सी गिरती है । आप उनको यह आदेश दें कि जब तक आप न कहें या मैं न कहूं तब तक इस तरीके के गलत समाचार पत्रों में न निकाला करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो कहा है उसका उपचार आपके हाथ में है और उपचार यह है कि अगर आपके संबंध में कोई बात अशुद्ध है या भ्रामक है तो उसका आप प्रतिवाद करें। अगर प्रतिवाद नहीं छापा जाता है तो आप मेरा ध्यान इस संबंध में आकर्षित कर सकते हैं। वैसे समाचार पत्र स्वतंत्र हैं सब कुछ छापने के लिये। अगर कोई बात गलत है और उसका आप प्रतिवाद करते हैं तथा उसको वह नहीं छापते हैं और जानबूझकर आपके ऊपर. . . . . .

(शोर)

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, अखबारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिये।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, हमारा एक कार्य स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हैं क्योंकि जब अविश्वास का प्रस्ताव और गवर्नर के अभिभाषण पर अवसर मिलता है . . . . .

श्री राम अधार—

हमारे यहां 16-3-76 को आजमगढ़ में संसदीय क्षेत्र में ग्राम च्योंता पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे एक कार्यकर्ता श्री राम बदन सिंह को गोली से मार दिया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। भूतपूर्व खान मंत्री श्री चन्द्र जीत यादव वहां गये थे और उनके उकसाने के कारण यह कांड हुआ था और उनके कारण ही अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री इस पर अपने बयान दें।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

ऐसे तो बहुत सी घटनायें सारे प्रदेश में हुई और जिस घटना का उदाहरण माननीय सदस्य ने दिया उसका मुझे खेद है। सारी घटनाओं के ब्यौरे में जाने का यह अवसर नहीं है लेकिन मुझे इस बात का अवश्य दुख हुआ कि माननीय सदस्य ने एक जिम्मेदार व्यक्ति श्री चन्द्रजीत यादव का नाम लिया जिनकी देश व प्रदेश में काफी प्रतिष्ठा है। अच्छा होता यदि माननीय सदस्य इस तरह की दुर्घटना में उनका नाम न लाते। कोई दुर्घटना हो जाय या हत्याकांड हो जाय तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति का नाम लेना उचित प्रतीत नहीं होता। मेरे पास वह पूरे तथ्य भेज दें मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री राम अधार—

राम बदन सिंह जिनकी हत्या की गयी उनके हत्यारों की पैरवी करने चन्द्रजीत यादव थाने पर गये और उनको छुड़ाया गया इसके लिये मेरे पास सबूत हैं। मुझे उम्मीद है कि इसकी जांच की जायगी।

1976-77 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 23,47,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष चाहें तो थोड़ी सी बहस भी कर सकते हैं और अगर वह यों ही अनुदानों को पास करना चाहें, तो पास भी कर सकते हैं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

हम किसी बहस की मांग नहीं कर रहे हैं । अनुदानों को पास कर दिया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैंने लिख कर दिया है कि दो रोज हुए प्रधान मंत्री को शपथ लिये हुए । जो नामजद मंत्री थे केन्द्रीय सरकार में उनमें से 5 आदमियों ने साढ़े 9 बजे तक शपथ नहीं ली, इन्कार कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप जबरदस्ती किसी से शपथ दिलायेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने लिख कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो कुछ लिख कर दिया है, वह बात सही है या नहीं इस पर सोचिये । अब मैं वोट लता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 23,47,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 3—मंत्रि-परिषद्

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत 26,39,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत 26,39,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 19,00,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 19,00,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व के अन्तर्गत 500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व के अन्तर्गत 500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत 16,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत 16,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11—बिक्री–कर

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—बिक्री–कर–के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–76 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—बिक्री-कर के अन्तर्गत 400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर

परिवहन मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत 3,05,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत 3,05,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 9,23,500 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 9,23,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18—सचिवालय

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 3,00,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन के अन्तर्गत 3,00,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21—पुलिस

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 2,74,75,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—पुलिस के अन्तर्गत 2,74,75,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22—कारागार

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 1,08,79,200 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—कारागार के अन्तर्गत 1,08,79,200 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 14,46,800 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 14,46,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण-कार्य

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण–कार्य के अन्तर्गत 23,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 23,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत 1,25,64,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत 1,25,64,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनों के अन्तर्गत 3,85,99,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—अधि वर्ष भत्ते तथा पेंशनों के अन्तर्गत 3,85,99,800 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 1,73,45,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 1,73,45,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—शिक्षा

न्याय मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 1,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत 1,700 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 8,32,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत 8,32,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 31—चिकित्सा

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—चिकित्सा के अन्तर्गत 2,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनदान संख्या 31–चिकित्सा के अन्तर्गत 2,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन

परिवार नियोजन मंत्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा व श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मंत्री जी, अब तो कम से कम आप यह तो वापस ले लीजिये । आपने उत्तर प्रदेश में फेमिली प्लानिंग करके सबका सफाया कर दिया है और साथ ही में कांग्रेस का भी सफाया कर दिया है । अब तो जरा कृपा कीजिए ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

यह 100 रुपये लेकर और जो कसर बाकी रह गयी है, वह भी मंत्री जी पूरी कर दीजिए ।

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)—

फैमिली प्लानिंग करके आपने प्रदेश से कांग्रेस का ही सफाया कर दिया । खूब मनमानी करके आपने 85 सीटें खत्म कर दीं । 3 लाख के टार्गेट को आपने 15 लाख कर दिया और उसी का यह नतीजा है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आपको उनका कथन याद होना चाहिये । राजनारायण जी जो बाहर से कर रहे थे, वही आप अन्दर बैठ कर कर रहे थे । खूब दोस्ती आपने निभायी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभुनारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थय के अन्तर्गत 63,10,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 63,10,900 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35—नगर विकास

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 35—नगर विकास के अन्तर्गत 100 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—नगर विकास के अन्तर्गत 100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 2,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत 2,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं के अन्तर्गत 200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 41--सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि कि अनुदान संख्या 41--सहकारिता के अन्तर्गत 22,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41--सहकारिता के अन्तर्गत 22,700 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या--43 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत 300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44--कृषि

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--कृषि के अन्तर्गत 53,75,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--कृषि के अन्तर्गत 53,75,400 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

अध्यक्ष महोदय मैं, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 6,47,57,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत 6,47,57,600 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत 22,10,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत 22,10,300 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 1,07,50,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 1,07,50,100 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49—पशुपालन

पशुपालन राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—पशु पालन के अन्तर्गत 9,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—पशुपालन के अन्तर्गत 9,600 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला विकास

पशुपालन राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला विकास के अन्तर्गत 1,52,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला विकास के अन्तर्गत 1,52,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52—वन

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश स प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—वन के अन्तर्गत 30 31,500 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—वन के अन्तर्गत 30,31,500 रुपये की अनुपूरक मांग वत्तीय वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—उद्योग

भारी उद्योग राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53–उद्योग के अन्तर्गत 4,00,00,100 रुपए की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—उद्योग के अन्तर्गत 4,00,00,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग

लघु उद्योग मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57—राजस्व

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 10,50,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 10,50,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 1,51,55,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 1,51,55,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत 68,27,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन के अन्तर्गत 68,27,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60—संचार साधन

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—संचार साधन के अन्तर्गत 3,18,82,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—संचार साधन के अन्तर्गत 3,18,82,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 23,35,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत 23,35,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63 सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत 3,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत 3,000 रुपए की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत 200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65—पर्यटन

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत 7,38,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—पर्यटन के अन्तर्गत 7,38,100 रुपए की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 33,70,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 33,70,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 18,09,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 18,09,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 47,35,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 47,35,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्य

सहकारिता मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,27,32,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,27,32,100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,10,80,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,10,80,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,60,37,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,60,37,400 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 15,05,72,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 15,05,72,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 25,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 25,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय

खाद्य मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 34,47,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 34,47,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय

पशुपालन राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 14,95,45,200 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 14,95,45,200 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,41,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 2,41,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 99,99,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 99,99,900 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,04,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,04,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम शिक्षा

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री रामायण राय)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा के अन्तर्गत 100 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम स्वायत्त शासन

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 23,31,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन के अन्तर्गत 23,31,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम उद्योग

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम—उद्योग के अन्तर्गत 4,40,72,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम—उद्योग के अन्तर्गत 4,40,72,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता के अन्तर्गत 38,87,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता के अन्तर्गत 38,87,700 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण बात छूट गयी है ....

श्री अध्यक्ष—

अभी विधेयक की प्रतियां बंट रही हैं, बंट जाने दें।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं।)

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977

31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) अधिनियम, 1977 कहलाएगा ।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1976-77 के लिए 4,18,51,55,500 रुपयों का दिया जाना ।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 4,18,51,55,500 रु0 (केवल चार अरब, अठारह करोड़, इक्यावन लाख, पचपन हजार, पांच सौ रुपए) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1977 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जावेगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखिए)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मंडल	23,47,100	1,36,400	24,83,500
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	1,34,900	1,34,900

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
3	मंत्रि परिषद्	26,39,200	..	26,39,200
4	न्याय प्रशासन	19,00,800	..	19,00,800
7	भू-राजस्व	500	2,44,00,000	2,44,00,500
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	16,93,000	..	16,93,000
11	बिक्री-कर	400	..	400
12	मोटर गाड़ियों पर कर	3,05,400	..	3,05,400
13	अन्य कर और शुल्क	9,23,500	..	9,23,500
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	100	..	100
16	ब्याज का भुगतान	..	2,47,19,600	2,47,19,600
*17	लोक सेवा आयोग	..	9,86,400	9,86,400
18	सचिवालय	1,000	..	1,000
19	जिला प्रशासन	3,00,900	..	3,00,900
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	200	..	200
21	पुलिस	2,74,75,600	..	2,74,75,600
22	कारागार	1,08,79,200	..	1,08,79,200
23	लेखन सामग्री और मुद्रण	14,46,800	..	14,46,800
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	23,800	..	23,800
25	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,25,64,100	..	1,25,64,100
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	3,85,99,800	64,900	3,86,64,700
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं	1,73,45,100	..	1,73,45,100
28	शिक्षा	1,700	1,12,800	1,14,500
29	कला एवं संस्कृति	8,32,100	..	8,32,100
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	100	..	100
31	चिकित्सा	2,500	..	2,500
32	परिवार नियोजन	100	..	100
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	63,10,900	..	63,10,900
35	नगर विकास	100	..	100
36	सूचना तथा प्रचार	200	..	200
37	श्रम एवं सेवायोजन	..	15,700	15,700
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,400	3,900	6,300
40	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	200	..	200
41	सहकारिता	22,700	..	22,700
42	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	5,000	14,000	19,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

अनुसूची

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
43	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	300	..	300
44	कृषि	53,75,400	86,100	54,61,500
45	सामुदायिक विकास	6,47,57,600	..	6,47,57,600
46	भूमि तथा जल संरक्षण	22,10,300	..	22,10,300
47	क्षेत्र विकास	1,07,50,100	..	1,07,50,100
49	पशुपालन	9,600	..	9,600
50	दुग्धशाला विकास	1,52,500	..	1,52,500
52	वन	30,31,500	..	30,31,500
53	उद्योग	4,00,00,100	54,400	4,00,54,500
54	ग्राम एवं लघु उद्योग	20,00,000	..	20,00,000
57	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	10,50,000	..	10,50,000
58	सिंचाई अधिष्ठान	1,51,55,200	..	1,51,55,200
59	सिविल विमानन	68,27,700	..	68,27,700
60	संचार साधन	3,18,82,100	..	3,18,82,100
61	कार्यात्मक भवन	23,35,000	..	23,35,000
62	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	100	..	100
63	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान	3,000	..	3,000
64	सड़क तथा जल परिवहन	200	..	200
65	पर्यटन	7,38,100	..	7,38,100
67	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	33,70,700	..	33,70,700
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	18,09,000	..	18,09,000
70	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय	47,35,200	..	47,35,200
71	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	100	..	100
72	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,27,32,100	..	1,27,32,100
73	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	5,10,80,400	..	5,10,80,400

अनुसूची—(समाप्त)

अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
74	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	7,60,37,400	..	7,60,37,400
76	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15,05,72,000	10,100	15,05,82,100
77	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	25,00,000	..	25,00,000
78	खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय	34,47,00,000	..	34,47,00,000
79	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	100	..	100
81	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	14,95,45,200	..	14,95,45,200
83	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय	2,41,000	57,000	2,98,000
84	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	99,99,900	..	99,99,900
85	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,04,000	..	1,04,000
*86	राज्य सरकार के ऋण	..	2,96,47,36,700	2,96,47,36,700
87	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	100	..	100
88	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन	23,31,700	..	23,31,700
90	ऋण और अग्रिम—उद्योग	4,40,72,700	..	4,40,72,700
91	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	38,87,700	..	38,87,700
	योग ..	1,16,96,22,600	3,01,55,32,900	4,18,51,55,500

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधयक, 1977 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1977–78 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्न प्रस्ताव पारित किया जाय—

"31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम 5 महीनों में 1977-78 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 25 मार्च, 1977 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 14 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 7,06,76,07,000 रुपए से अधिक न हो ।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम 5 महीनों में 1977–78 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 25 मार्च, 1977 को सदन में प्रस्तुत किया गया,के पृष्ठ 1–4 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 7,06,76,07,000 रुपए से अधिक न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, इस सदन की परम्परा रही है कि जब भी लेखानुदान आया है विरोधी पक्ष ने तब सहर्ष स्वीकार किया है । लेकिन आज मुझे, इस सदन की जो परम्परा रही है उस परम्परा के विरुद्ध इसलिये बोलना पड़ रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन की परम्परा को छोड़ कर, जो नियम किसी विषम परिस्थितियों के लिये बनाया गया है, जिसे इक्सेप्शनल क्लाज कह सकते हैं, उस नियम को साधारण परिस्थितियों में भी इन्होंने साधारण नियम के रूप में लागू किया है । आज तक इस सदन में कभी भी लेखानुदान 5 महीने के लिये नहीं आया है । 5 महीना वर्ष का लगभग आधा वर्ष होता है और लेखानुदान का प्राविजन भी इसीलिए है कि सरकार अगर 31 मार्च तक किन्हीं परिस्थितियों के कारण बजट न पास कर सके, तब ऐसी परिस्थिति में लेखानुदान का प्राविधान कराया गया । चुनाव का अवसर था, इसमें कोई दो मत नहीं कि जब भी चुनाव होता है,तो उस साल लेखानुदान पेश किया जाता है, लेकिन 5 महीने का काल जब यह बीत जायगा, जब जनरल बजट पास होता है, उसे लागू करने में कई महीने गुजर जाते हैं और वह अगले 31 मार्च तक बजट खर्च नहीं हो पाता है । इस सरकार का सुनियोजित षडयंत्र है, केन्द्रीय सरकार को बदनाम करना, उस सरकार को बदनाम करना जिसको जनता ने अभी स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें । जब उन्होंने प्रस्ताव रखा, तब तो आप खड़े नहीं हुए ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं इसलिये खड़ा हुआ कि जो इन्होंने लेखानुदान पेश किया, इन्होंने संख्या बल पर जनभावना को ठुकरा कर उसे रखा है । इसलिये मैं अपना विरोध नोट कराने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह सरकार उस नियम को ठुकरा रही है । यह 5 महीने का लेखानुदान उसे नहीं पास कराना चाहिये था । और इसीलिये मैं बार-बार कह रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से कि विकास के तमाम कार्य तेजी से न चल सकें, सुनियोजित षड़यंत्र का यह पहला कदम इस सरकार का है । इसलिये मैं इस पर अपना विरोध प्रकट करता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, अभी जो हमारे सम्मानित सदस्य मिर्जापुर ने यह सन्देह व्यक्त किया है, इसके लिये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि या तो उनको कुछ गलत सूचना मिली है या उनको कुछ भ्रान्ति हो गयी है । क्योंकि हमारा यह कतई इरादा नहीं है कि केन्द्रीय सरकार को बदनाम करने के लिये यह वोट आन एकाउन्ट लाया गया है । सत्यता तो यह है कि वोट आन एकाउन्ट लाने का जब निर्णय लिया गया था तब केन्द्र की सरकार में कौन आयेगा, कौन नहीं आयेगा, यह पहले से किसी को मालूम तो था नहीं । उस समय इसका किसी को कुछ पता नहीं था कि किसका बहुमत होगा, कौन प्रधान मंत्री होगा, कौन क्या होगा, इसका कोई पता उस समय किसी को नहीं था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

क्या पता नहीं था ? यह तो मालूम होना चाहिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केन्द्रीय सरकार की बात उन्होंने कही, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उन्होंने सन्देह व्यक्त किया है, इसमें तथ्य तो यह है कि इससे तो बड़ी सहायता मिलेगी। अगर कोई योजना बनी और वह नयी योजना बन कर आयी तो वे नयी योजना में यह प्राविधान कर सकेंगे कि योजना को किस प्रकार चलाने से क्या होगा। उससे स्पष्ट होता है कि यह तो अच्छी बात है कि सब चीज का पता होने पर सब चीज को ध्यान में रख कर काम किया जायेगा।

जहां तक उनकी सूचना यह है कि पहले कभी 5 महीने का वोट आन एकाउन्ट नहीं पास किया गया, तो ऐसी बात सही नहीं है। मैं उनको बतला दूं कि इससे पहले 1967–68 में जब कि एस0 वी0 डी0 की गवर्नमेन्ट थी, तब 5 महीने के लिये वोट आन एकाउन्ट लिया गया था और उसके बाद 1971–72 में भी 5 महीने केलिये वोट आन एकाउन्ट लिया गया। तो उनकी यह सूचना गलत है कि पहले कभी 5 महीने का वोट आन एकाउन्ट नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977

1 अप्रैल, 1977 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग लेखानुदान अधिनियम, 1977 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1977–78 के लिये 10,11,05,05,000 रुपयों का दिया जाना।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1977 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 10,11,05,05,000 (रुपए दस अरब, ग्यारह करोड़, पांच लाख पांच हजार) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मंडल	67,76,	1,12,	68,88,
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	5,45,	5,45,
3	मंत्रि–परिषद्	19,08,	..	19,08,
4	न्याय प्रशासन	2,82,09	55,74,	3,37,83,
5	निर्वाचन	1,24,64,	..	1,24,64,
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर	4,80,	1	4,81,
7	भू–राजस्व	16,19,89,	4,06,39,	20,26,28,
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	61,26,	1,	61,27,
9	भूमि और भवन-कर	12,	..	12,
10	राज्य आबकारी	61,90,	3,	61,93,
11	बिक्री-कर	3,18,89,	1,93,48,	5,12,37,
12	मोटर गाड़ियों पर कर	3,58,89,	1,	3,58,90,
13	अन्य कर और शुल्क	61,46,	1,	61,47,
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	20,07,	..	20,07,
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	14,78,57,	14,78,57,
*16	ब्याज का भुगतान	..	45,45,24,	45,45,24,
*17	लोक सेवा आयोग	..	16,59,	16,59,

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
18	सचिवालय	2,94,29,	1,	2,94,30,
19	जिला प्रशासन	4,17,10,	8,	4,17,18,
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	75,39,	1,	75,40,
21	पुलिस	28,33,12,	2,	28,33,14,
22	कारागार	2,98,58,	1,	2,98,59,
23	लेखन–सामग्री और मुद्रण	2,21,94,	..	2,21,94,
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	40,56,	7,	40,63,
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	2,07,57,	1,	2,07,58,
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	5,25,99,	1,91,	5,27,90,
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	2,96,90,	1,	2,96,91,
28	शिक्षा	99,20,28,	3,	99,20,31,
29	कला एवं संस्कृति	31,69,	1,	31,70,
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	10,29,	..	10,29,
31	चिकित्सा	20,38,47,	5,	20,38,52,
32	परिवार नियोजन	6,70,49,	2,	6,70,51,
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	10,95,20,	2,	10,95,22,
34	आवास भवन	39,03,	1,02,	40,05,

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
35	नगर विकास	18,68,	..	18,68,
36	सूचना तथा प्रचार	72,40,	1,	72,41,
37	श्रम एवं सेवायोजन	3,35,54,	3,	3,35,57,
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण)	7,00,86,	1,	7,00,87,
39	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें	2,24,31,	13,	2,24,44,
40	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	90,85,	90,84,	1,81,69,
41	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	4,08,	..	4,08,
42	सहकारिता	2,86,09,	1,	2,86,10,
43	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र	28,17,46,	6,	28,17,52,
44	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	86,04,	2,	86,06,
45	कृषि	11,61,45,	17,	11,61,62,
46	औद्योगिक विकास	96,44,	79,	97,23,
47	गन्ना विकास	3,75,11,	1,	3,75,12,
48	सामुदायिक विकास	11,06,18,	11,	11,06,29,
49	भूमि तथा जल संरक्षण	2,08,17,	1,	2,08,18,
50	क्षेत्र विकास	3,28,86,	..	3,28,86,
51	खाद्य	2,31,32,	21,	2,31,53,

विधान सभा उत्तर प्रदेश

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
52	पशुपालन ..	4,42,35,	1,	4,42,36,
53	दुग्धशाला (डेरी) विकास	29,98,	1,	29,99,
54	मत्स्य उद्योग ..	38,98,	1,	38,99,
55	वन ..	3,00,44,	17,	3,00,61,
56	उद्योग ..	2,12,36,	2,	2,12,38,
57	ग्राम्य एवं लघु उद्योग ..	1,85,92,	..	1,85,92,
58	खाने तथा खनिज ..	24,11,	1,	24,12,
59	विद्युत् विकास ..	83,34,	..	83,34,
60	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण—कार्य	31,70,38,	1,	31,70,39,
61	सिंचाई अधिष्ठान ..	14,39,97,	4,	1.4,40,01,
62	सिविल विमानन ..	5,11,	..	5,11,
63	संचार साधन ..	11,60,28,	4,	11,60,32,
64	कार्यात्मक भवन ..	40,35,	8,	40,43,
65	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	6,35,03,	2,	6,35,05,
66	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान	2,31,03,	..	2,31,03,
67	सड़क तथा जल परिवहन	4,88,	..	4,88,
68	पर्यटन ..	10,45,	..	10,45,

विधान सभा

अनुसूची--(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
69	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण ..	4,42,04,	..	4,42,04,
70	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	3,91,19,	42,	3,91,61,
71	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	92,02,	1,35,	93,37,
72	चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ..	40,05,	..	40,05,
73	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	85,29,	21,	85,50,
74	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	23,58,	21,	23,79,
75	सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	5,06,23,	3,49,	5,09,72,
76	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..	9,54,27,	1,	9,54,28,
77	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ..	14,45,75,	2,08,	14,47,83,
78	जमींदारी उन्मूलन के संबंध में प्रतिकर ..	12,71,	..	12,71,
79	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	14,00,23,	1,	14,00,24,
80	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	93,38,	..	93,38,
81	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय	80,57,98,	..	80,57,98,
82	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	3,17,	..	3,17,
83	वनों पर पूंजीगत परिव्यय	4,11,	1,	4,12,

विधान सभा

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
84	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	79,59,15,	1,	79,59,16,
85	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	5,88,75,	..	5,88,75,
86	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	17,81,80,	21,	17,82,01;
87	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,	..	1;
88	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,38,	..	2,38,
*89	राज्य सरकार के ऋण	..	2,36,22,21,	2,36,22,21;
90	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	30,00,	..	30,00,
91	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन ..	4,97,88,	..	4,97,88;
92	ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन ..	23,03,	..	23,03;
93	ऋण और अग्रिम—उद्योग	4,61,37,	..	4,61,37,
94	ऋण और अग्रिम—सहकारिता	1,60,71,	..	1,60,71;
95	ऋण और अग्रिम—कृषि	89,06,	..	89,06,
96	ऋण और अग्रिम—विद्युत्	72,87,97,	..	72,87,97;
97	ऋण और अग्रिम—वित्त	65,42,	..	65,42,
	योग ..	7,06,76,07,	3,04,28,98,	10,11,05,05,

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनाएं थीं, उनको मैंने अस्वीकृत कर दिया है ।

अब हम उठते हैं और 30 मार्च, 1977 को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 37 मिनट पर बुधवार, 30 मार्च, 1977 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
26 मार्च, 1977 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 29 पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किये गए शाब्दिक संशोधन का विवरण :—

खंड 4 के अन्त में पूर्ण विराम चिह्न बढ़ा दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 29 पर)

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण:—

(1) विधेयक की प्रस्तावना की पंक्ति 5 में शब्द "एण्ड" के स्थान पर शब्द "ऐण्ड" रख दिया गया है।

(2) खंड 2 द्वारा बताई जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 35—क की उपधारा (1—क) की पंक्ति 1 में शब्द "लाग" के स्थान पर शब्द "लागू" रख दिया गया है।

(3) खंड 7 के उपान्तीय शीर्षक में शब्द "शोधन" के स्थान पर शब्द "संशोधन" रख दिया गया है।

(4) खंड 7 में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के आदेश 15 के नियम 5 के स्पष्टीकरण 3 के द्वितीय परन्तुक में शब्द "प्रतिभति" के स्थान पर शब्द "प्रतिभूति" रख दिया गया है।

(5) खंड 8 (क) की पंक्ति 1 में शब्द व चिन्ह "में" के पश्चात् चिन्ह "—" बढ़ा दिया गया है।

(6) खंड 27 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 19(2) के परन्तुक की पंक्ति 2 में शब्द "शक्तियों" के स्थान पर शब्द "शक्तियां" तथा शब्द "सगती" के स्थान पर शब्द "सकती" रख दिए गए हैं।

(7) खंड 31 (क) में शब्द "परा" के स्थान पर शब्द "परा" रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ 29 पर)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए शाब्दिक संशोधन का विवरण :—

खंड 5(1) की पंक्ति 2 में शब्द "द्वार" के स्थान पर शब्द "द्वारा" रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 6 वि0 सभा—(10)—9-4-1977—840 (ब्रांच प्रेस)।